बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

प्रेस विज्ञप्ति

समाज कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली याचिकाओं के आलोक में तथ्य विवरणी तैयार कर ससमय प्रतिशपथ दायर करने में सहयोग हेतु 5 अधिवक्ताओं का पैनल निर्माण किया जाना है। इस हेतु बाल प्रक्षेत्र से जुड़े अधिनियमों यथा JJ Act, POCSO Act, बाल विवाह अधिनियम, RTE इत्यादि का सम्यक ज्ञान अपेक्षित है।

इच्छुक अधिवक्ता इस कार्य हेतु अपना बायो–डाटा संलग्न कर आवेदन दिनांक 15.01.2025 तक समाज कल्याण निदेशालय के ई–मेल आई०डी० dirdsw-bih@nic.in पर उपलब्ध करा सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन विचार योग्य नहीं होगा।

2- आवेदित अधिवक्ताओं को निदेशालय के स्क्रीनिंग समिति के समक्ष निर्धारित तिथि को अनिवार्य रूप से सुसंगत कागजातों के साथ उपस्थित होना होगा ताकि चयन को अंतिम रूप दिया जा सके। स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थित होने की तिथि/समय की सूचना आवेदित अधिवक्ताओं को उनके ई–मेल पर अलग से दी जायेगी।

3- पैनल अधिवक्ता के रूप में चयन होने के उपरान्त तथ्य विवरणी तैयार कर/टंकित कराकर प्रस्तुत करने पर वित्त विभाग द्वारा विभिन्न न्यायिक वाद में राज्य सरकार की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु विद्वान अधिवक्ताओं/सेवानिवृत सरकारी सेवकों के लिए यथा निर्धारित शुल्क/पारिश्रमिक भुगतेय होगा।

19.12.24
(रंजिता)
निदेशक,
समाज कल्याण निदेशालय।

ज्ञापांकः– 2553 पटना, दिनांक - 20.12.2024

प्रतिलिपिः–निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सूचना भवन, बिहार, पटना का प्रेस विज्ञप्ति की छः अतिरिक्त प्रति एवं इसकी सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 2- उनसे अनुरोध है कि प्रेस विज्ञप्ति को लोकप्रिय हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों के राज्य स्तरीय संस्करण में प्रकाशित कराते हुए, प्रकाशित की गयी प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्र कतरन की प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

19.12.24
निदेशक,
समाज कल्याण निदेशालय।